**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या– 3565**

दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**अंतर्राष्ट्रीय दमन के विरुद्ध भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा**

3565. श्री कीर्ति आज़ाद

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रवासियों को विदेशों में भारतीय मिशनों या अन्य अधिकारियों को दी गई अंतर्राष्ट्रीय दमन, उत्पीड़न या डराने-धमकाने की घटनाओं या मामलों का देश-वार आंकड़ा बनाया या संकलित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विदेशी क्षेत्राधिकारों में इस तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों की सहायता और सुरक्षा के लिए वर्तमान में क्या तंत्र मौजूद हैं;
(ग) प्रवासी समुदायों की सुरक्षा बढ़ाने , शिकायत निवारण और राजनयिक जुडाव सहित संस्थागत सुरक्षा को और मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि और रणनीति क्या है; और
(घ) क्या सरकार का भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दमन या लक्षित जबरदस्ती की घटनाओं पर ध्यान देने और रोकने के लिए मेजबान देशों के साथ समर्पित ढांचे या समन्वय तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**(श्री पबित्र मार्गेरिटा)**

(क से घ) प्रवासी भारतीय समय-समय पर विदेशों में अलगाववादियों और अन्य भारत-विरोधी तत्वों द्वारा उत्पीड़न या धमकी की सूचना देते हैं। हमारे दूतावास और कोंसलावास इन घटनाओं को स्थानीय सरकारों के ध्यान में लाते हैं।

भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा है। भारतीय मिशन / केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय को अपने यहाँ पंजीकरण कराने और इस मंत्रालय के मदद पोर्टल और सीपीग्राम्स पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित और सलाह देते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों की शिकायतों का जवाब टेलीफोन कॉल, व्यक्तिगत मुलाकातों, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, कोंसली कैंप, ओपन हाउस, मदद पोर्टल और सीपीग्राम्स के माध्यम से लगभग तुरंत दिया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन / केंद्र संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों तक सीधे या अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित स्थानीय भारतीय प्रवासी संघों के माध्यम से सक्रिय रूप से पहुँचते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और आवास सहित सभी संभव कोंसली सेवाएं प्रदान करते हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / केंद्रों  में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, संकटग्रस्त भारतीय प्रवासियों को आर्थिक स्थिति के आधार पर परामर्श और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त , विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र , विशेषकर उन देशों में जहां राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट है, सतर्क रहते हैं और उन सभी घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हैं जिनका इन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समय-समय पर, वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले देशों में होने वाली घटनाओं के अनुसार सलाह जारी करते हैं ताकि भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, प्रकाशित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से उनसे संपर्क में रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा सके। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या चुनौतियों को मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत उठाया जाता है ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके। ऐसे मुद्दों को संबंधित देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों में भी उठाया जाता है, जिनमें आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय बैठकें भी शामिल हैं।

राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट से प्रभावित देशों में आपात स्थितियों या संकट के दौरान, भारतीय मिशन /केंद्र संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीयों को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ प्रदान करके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाकर उनकी सहायता करते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए उल्लेखनीय निकासी अभियानों में वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन), ऑपरेशन कावेरी (सूडान), ऑपरेशन अजय (इजराइल) और ऑपरेशन सिंधु (इजरायल और ईरान) शामिल हैं। ये प्रयास विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारतीय मिशन /केंद्र  विदेश में भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रिय घटना पर कड़ी निगरानी रखते हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत संबंधित देश के अधिकारियों को दी जाती है ताकि मामलों की उचित जांच हो सके और दोषियों को उनके देश के कानूनों के अनुसार दंडित किया जा सके। द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान और संस्थागत संवाद तंत्रों के माध्यम से, जहां उपयुक्त हो, उच्चतम स्तर सहित, संबंधित देशों के साथ राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर भी इन मुद्दों को उठाया जाता है।

*****